न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2020/00011

1. नजमुद्दीन आत्मज अब्दुल करीम जाति मुसलमान ।
2. अमीन खॉ आत्मज अब्दुल करीम जाति मुसलमान ।
3. अब्दुल सलाम खॉ (मृतक) आत्मज अब्दुल करीम जाति मुसलमान जरिये कायममुकामान :–
   - 3/1. श्रीमति फैमिदा पत्नी अब्दुल सलाम ।
   - 3/2. समिना पुत्री अब्दुल सलाम ।
   - 3/3. अब्दुल कोसिन पुत्र अब्दुल सलाम नाबालिग जरिये वली माता फैमिदा ।
   - 3/4. फैमिना पुत्री अब्दुल सलाम नाबालिग जरिये वली माता फैमिदा जातियान मुसलमान ।
4. शराफत खॉ आत्मज अब्दुल करीम जाति मुसलमान ।
5. सलीम खॉ आत्मज अब्दुल करीम जाति मुसलमान ।

———अपीलान्ट

बनाम

दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री भगवती बल्लभ शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 08.02.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.11.2019 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्टगण की माता मृतक जुम्मी उर्फ जमीला बेगम ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 188 एवं 92 (ए) के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि वादिनी के दादा यासीन मोहम्मद के तीन पुत्र अब्दुल समद, फजल मोहम्मद एवं मोहम्मद अलम थे । वादिनी के दादा के खाते में ग्राम ढावा तहसील दीगोद में एवं ग्राम देवपुरा तहसील दीगोद में काश्त की भूमि थी जिसमें यासीन मोहम्मद जी की मृत्यु के बाद दोनों गॉवों में तीनों भाईयों के बराबर 1/3

– 1/3 हिस्से की भूमि खाते दर्ज हो गई तीनों पुत्र हिस्से के अनुसार तन्हा काश्त करते थे ग्राम ढावा की भूमि में कोई विवाद नहीं है । ग्राम देवपुरा तहसील दीगोद में आराजी संख्या 222 रकबा 23 बीघा 16 बिस्वा वादिनी के पिता अब्दुल समद हिस्सा 1/3 एवं फजल मोहम्मद हिस्सा 1/3 एवं मोहम्मद उस्मान पुत्र मोहम्मद आलम हिस्सा 1/3 जाति मुसलमान खातेदार दर्ज थे । किन्तु खातेदारान के फौती इंतकाल तस्दीक कार्यवाही करते हुए पटवारी हल्का ने इंतकाल संख्या 287 में वादिनी के पिता के अन्य भाईयों के अलावा वादिनी के पिता अब्दुल समद के बारे में बिना जॉच पुत्रों सहित पाकिस्तान जाने की रिपोर्ट कर दी तथा भूमि एवेक्यू दर्ज करने की सिफारिश कर दी |साथ ही वादिनी के जीवित होने की रिपोर्ट के साथ बाद जॉच का आदेश फरमाने की सिफारिश की जिस पर कानूनगो एवं नायब तहसीलदार दीगोद ने बिना जॉच, बिना अधिकार क्षेत्र के दिनांक 31.08.1976 को वादिनी के पिता के 1/3 हिस्से को रेवेन्यू प्रोपर्टी दर्ज करने के आदेश दिया जिसमें वादिनी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया । वादग्रस्त आराजी के वाद सेटलमेंट खसरा नम्बर 224 रकबा 3.45 हैक्टर वाके ग्राम देवपुरा तहसील दीगोद दर्ज खाता हुआ जिसमें वादिनी के पिता के 1/3 हिस्से पर अन्य खातेदारों के साथ रेवेन्यू प्रोपर्टी दर्ज है तथा बाद केचमेंट नये खसरा नम्बर 1398 रकबा 3.21 हैक्टर में वादिनी के पिता के 1/3 हिस्से पर रेवेन्यू प्रोपर्टी दर्ज है जो वादिनी के हक स्वत्व के खिलाफ शून्य है । वादिनी को अधिकार प्राप्त है कि वह अपने हिस्से की स्वयं को खातेदार घोषित करावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमावे ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि नामान्तरकरण संख्या 287 दिनांक 31.08.1976 को बिना जॉच व सुनवायी के गलत व अपूर्ण रिपोर्ट के आधार पर बिना अधिकार क्षेत्र के तस्दीक करते हुए वादिनी के पिता के 1/3 हिस्से को रेवेन्यू प्रोपर्टी दर्ज कर दिया जो वादिनी के हित व स्वत्व के विपरीत शून्य है तथा वादिनी खसरा नम्बर 222 रकबा 23 बीघा 16 बिस्वा एंव वर्तमान खसरा नम्बर 1398 रकबा 3.21 हैक्टर वाके ग्राम देवपुरा तहसील दीगोद में 1/3 हिस्से की अन्य खातेदारों के साथ खातेदार काश्तकार घोषित की जाकर तन्हा पिता की जगह 1/3 हिस्सा पर खाते नाम दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादग्रस्त आराजी पर किसी अन्य तृतीय पक्षकार का हस्तक्षेप व हित उत्पन्न नहीं करें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.11.2019 के द्वारा वाद वादिनी खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.11.2019 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादिनी के पिता की कोटा में सेवा निवृति के बाद दिनांक 20.09.1958 को मृत्यु हुई है । पटवारी की गलत रिपोर्ट कि मृतक अब्दुल समद पुत्र यासिन मोहम्मद पाकिस्तान चला गया है और उसके वारिसों में पुत्री जुम्मो जीवित की रिपोर्ट के बावजूद तहसीलदार दीगोद ने धारा 40 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विरूद्ध जांच किये बिना तथ्यों की पुख्ता रिपोर्ट मंगवाये बिना वादिनी के खाते की भूमि दर्ज करने के बजाय भूमि रेवेन्यू प्रोपर्टी दर्ज कर दी जिसे अवैध घोषित किये

जाने का वाद अधीनस्थ न्यायालय ने केवल इस आधार पर खारिज कर दिया कि इस न्यायालय को वारिस निर्धारण के अधिकार नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय में वादिनी ने अपना वाद दस्तावेजी साक्ष्य से साबित किया है और वादिनी की साक्ष्य का प्रतिवादीगण द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने वादिनी का वाद खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.11.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्ट की माता श्रीमती जुम्मी उर्फ जमीला बेगम पुत्री अब्दुल समद खॉ ने अपने पिता की संयुक्त खाते व काश्त की भूमि जो अन्य भाईयों के साथ खसरा नम्बर 222 रकबा 23 बीघा 06 बिस्वा दर्ज थी जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 1398 रकबा 3.12 हैक्टर वाके ग्राम देवपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा में स्थित है के लिए हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था । अपीलान्ट की माता का विवाह दिनांक 22.09.1952 को पिता अब्दुल समद ने किया था । अब्दुल समद पुलिस विभाग में नौकरी करते थे । उनकी मृत्यु सन् 1958 में कोटा में हुई है । तहसील दीगोद में पटवारी हल्का ने नामान्तरकरण संख्या 278 भरकर दिनांक 23.12.1975 को रिपोर्ट की कि अन्य सहखातेदारों के अलावा अब्दुल समद पाकिस्तान चला गया है । वारिसों में पुत्री जुम्मो है, जॉच कर उचित आदेश फरमावें परन्तु तहसीलदार दीगोद ने बिना जॉच एवं रिपोर्ट के केवल पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर धारा 40 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विपरीत दिनांक 31.08.1976 को अब्दुल समद के 1/3 हिस्से की आराजी को रेवेन्यू प्रोपर्टी दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया है जो अवैध है । अधीनस्थ न्यायालय ने वादी की अखंडित साक्ष्य को नहीं मानकर विधि–विरूद्ध निर्णय पारित किया है । पटवारी हल्का ने गलत रिपोर्ट की थी और बिना जॉच किये आराजी को रेवेन्यू प्रोपर्टी दर्ज किया गया है । नामान्तरकरण संख्या 287 में भी अब्दुल समद की पुत्री होने की रिपोर्ट है । नामान्तरकरण फिसकल कार्यवाही होती है जिससे अधिकार एवं स्वत्व समाप्त नहीं होते हैं । अब्दुल समद के लडके पाकिस्तान चले गये थे परन्तु वो स्वयं नहीं गये थे । अपर जिला न्यायाधीश संख्या 05 के निर्णय दिनांक 03.01.2017 में प्रतिवादी संख्या 10 जमीला पुत्री अब्दुल समद के रूप में दर्ज है । एक निर्णय एन् 1958 में फजल अहमद, अब्दुल समद एवं मोहम्मद उस्मान खॉ के मध्य सहायक कलक्टर क्रम 04 से हुआ था जिसकी फोटो प्रति पेश की गई है परन्तु प्रमाणित प्रति प्राप्त नहीं हुई है और प्रार्थना पत्र खारिज करने की प्रमाणित प्रति अपील में पेश की गई है । इन समस्त दस्तावेजात से यह प्रमाणित होता है कि अब्दुल पाकिस्तान नहीं गये थे वरन् उनकी मृत्यु हिन्दुस्तान में ही हुई है । अब्दुल समद पाकिस्तान नहीं गये थे तो उनकी आराजी सरकारी घोषित नहीं की जा सकती । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरबीजे 2017 पेज 207, 2017 आरबीजे पेज 10, आरबीजे 2017 पेज 110 और दिनांक 21.10.2005 के माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम राजा मोहम्मद अमीर पेश किये ।

8. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अब्दुल समद पाकिस्तान चले गये थे । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादिनी खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.11.2019 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर सरिस्ता कजात कोटा प्रदर्ष– 1, मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति प्रदर्ष–2 संलग्न है जिसके अनुसार अब्दुल समद की मृत्यु दिनांक 20.09.1958 को होना अंकित किया है । नकल जमाबन्दी संवत् 2051–54 प्रदर्ष– 3 संलग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी में अब्दुल समद पुत्र फजल मोहम्मद का 1/3 हिस्सा दर्ज है । नामान्तरकरण संख्या 287 प्रदर्ष– 4 संलग्ल है इस नामान्तरकरण पर पटवारी हल्का की जॉच रिपोर्ट है उसमें यह अंकित है कि अब्दुल समद लडकों सहित पाकिस्तान चला गया है लडकियॉ जुम्मो वगै0 हैं जिनकी शादियॉ हो चुकी हैं । नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्ष–5, नकल जमाबन्दी संवत् 2052–55 प्रदर्ष –6, नकल जमाबन्दी संवत् 2072–75 प्रदर्ष–7, नकल, फर्द रिपोर्ट ग्राम देवपुरा प्रदर्ष–8, नकल जमबान्दी संवत् 2031–34 प्रदर्ष–9, जमाबन्दी संवत् 2035–38 प्रदर्ष– 10, नोटिस की प्रति प्रदर्ष–11, नामान्तरकरण संख्या 59 प्रदर्ष–12, नकल खसरा गिरदावरी प्रदर्ष–13 संलग्न हैं । अपर एवं सेषन न्यायाधीष क्रम 05 में शफीका के बयानों की प्रमाणित प्रति प्रदर्ष–14 संलग्न है जिसमें यह कथन किया गया है कि अब्दुल समद के 02 लडके पाकिस्तान चले गये और उनकी 03 लडकियॉ ही रह गई हैं, अब्दुल समद की पत्नी भी बच्चों के साथ पाकिस्तान चली गई थीं । तहसीलदार का पत्र दिनांक 05. 04.2017 प्रदर्ष–15 है और तहसीलदार के पत्र दिनांक 07.07.2017 को भी प्रदर्ष–15 अंकित किया गया है । जमीला के बयान प्रदर्ष– 16 संलग्न है जिसमें यह कथन किया गया है कि अब्दुल समद जी का देहान्त सन् 1958 में हुआ था उनके वारिसों में केवल मात्र हम 03 पुत्रियॉ हैं अब्दुल समद जी के 02 पुत्र उनके जीवनकाल में ही पाकिस्तान चले गये थे । अब्दुल समद जी के हिस्से की हम तीनों बहिनें ही हकदार हैं । प्रदर्ष–17 मुख्तारनामा है । नक्षा ट्रेस की नकल एवं खसरा गिरदावरी भी पत्रावली पर संलग्न हैं जिन पर कोई प्रदर्ष नम्बर अंकित नहीं हैं ।

10. वादी की ओर से बयान नजमुद्दीन पीडब्ल्यू–1, अब्दुल वहीद पीडब्ल्यू–2 कराये गये हैं ।

11. यहॉ यह उल्लेखनीय है कि वादी की ओर से जो बयानात कराये गये हैं वो नजमुद्दीन पीडब्ल्यू–1 और अब्दुल वहीद पीडब्ल्यू–2 के रूप में जो शपथ पत्र पेष किये गये हैं उनकी न्यायालय में उपस्थित होकर ताईद नहीं की गई है जो कि सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार अनिवार्य है । दावा जुम्मी उर्फ जमीला बेगम की ओर से किया गया है । नकल नामान्तरकरण संख्या 287 में पटवारी हल्का की रिपोर्ट में यह अंकित है कि अब्दुल समद की लडकियॉ जुम्मी वगै0 हैं जिनकी शादियॉ हो चुकी हैं । इसके अलावा प्रदर्ष– 16 जमीला ने स्वयं अपने बयानों में अपर जिला न्यायाधीष क्रम 05 में यह कथन किया गया है कि अब्दुल समद के दोनों पुत्र उनके जीवनकाल में पाकिस्तान चले गये थे । अब्दुल समद की हिस्से की हम तीनों बहिनें हकदार हैं । इसके अलावा बयान शफीका प्रदर्ष– 14 में भी यह कहा गया है कि अब्दुल समद दोनों लडके पाकिस्तान चले गये थे इनकी तीनों लडकियॉ यहॉ रह रही हैं । अब्दुल समद की

पत्नी भी बच्चों के साथ पाकिस्तान चली गई थी। इन समस्त दस्तावेजात से यह प्रमाणित होता है कि अब्दुल समद जी के 03 पुत्रियॉ हैं और उनके दो पुत्र पाकिस्तान चले गये हैं । यदि वादी के इस कथन को सही भी माना जावे कि अब्दुल समद स्वयं पाकिस्तान नहीं गये थे तो भी वादिनी के द्वारा हक घोषणा के दावे में अपने दोनों बहिनों एवं उनके वारिसों को पक्षकार नहीं बनाया गया है वरन् यह अंकित किया है कि वादिनी एक मात्र जायन्दा पुत्री अब्दुल समद खॉ की है । दावे में अपने दोनों बहिनों के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं किया है । इस प्रकार वादिनी क्लीन हैण्ड से नहीं आयी है । वादिनी की दोनों बहिनों/उनके वारिस इस प्रकरण में आवष्यक पक्षकार हैं जिनको पक्षकार बनाये बिना हक घोषणा का दावा वादिनी मेन्टनेबल नहीं है । हम इस प्रकरण में वादिनी की दोनों बहिनों अथवा उनके वारिसों को पक्षकार बनाया जाकर सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना आवष्यक समझते हैं । इस दृष्टि से उनको पक्षकार बनाया जाकर सनुवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण को परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंषिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.11.2019 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देषित किया जाता है कि वादिनी की दोनों बहिनों/उनके वारिसों को पक्षकार बनाकर उन्हें जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है वे दिनांक 18.03.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 08.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

8/2/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा